उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1725 /रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
रॉची।

बोकारो, दिनांक 11/07/2020

विषयः– श्रीमति सुदामा देवी, ऑनलाईन कम्पलेन संख्या–56 एवं 57 का निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची से ऑनलाईन कम्पलेन संख्या–56 एवं 57 (श्रीमति सुदामा देवी) का अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–01/2020 का विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 09.07.2020 को निष्पादित कर दिया गया है। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–01/2020
(सुदामा देवी बनाम् जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य)
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9/07/20	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका श्रीमति सुदामा देवी अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित। आवेदिका सुदामा देवी, पति यमुना साव, ग्राम–जरीडीह बाजार, प्रखंड–बेरमो, जिला–बोकारो ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा कम राशन दिये जाने के संबंध में शिकायत आवेदन वाट्सएप के माध्यम से खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग को ऑनलाईन द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा राशन कार्ड संख्या–202001970913 की छाया प्रति संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का कार्यालय पत्रांक 897/आ0, दिनांक 09.07.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि बेरमो प्रखंड अन्तर्गत जरीडीह पूर्वी पंचायत में जन वितरण प्रणाल के विक्रेता भरत प्रसाद सिन्हा के खिलाफ सुदामा देवी पति स्व0 जमुना साव तथा मनुवा खातुन पति मो0 ताहिर की शिकायत की जॉच कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) अंचल अधिकारी, बेरमो के साथ की गई। सुदामा देवी के कथनानुसार हमलोग छः सदस्य हैं। अतः हमें 30 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना चाहिए, किन्तु फरवरी माह एवं उससे पूर्व 20 किलोग्राम ही मिलता है। इस बार माह मार्च, अप्रैल, और मई 2020 का 30 किलोग्राम खाद्यान्न दिया है। जॉच स्थल पर वार्ड सदस्य मो0 मिराज वार्ड संख्या–05 उपस्थित थे। उनके अनुसार छः माह पूर्व सुदामा देवी ने उक्त शिकायत उनसे की थी और उन्होंने कार्यधारी को निर्गत पर्ची की मांग लाभुक से की, किन्तु लाभुक के पास उपलब्ध नहीं था। उक्त के संबंध में जनवितरण प्रणाली विक्रेता भरत सिन्हा से पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा प्रति माह यूनिट के अनुसार 30 किलो खाद्यान्न का वितरण किया गया है एवं पर्ची उपलब्ध कराया गया है। वितरण सूची में प्रतिमाह खाद्यान्न दर्ज है। चूॅकि सुदामा देवी का एक पोता है रवि कुमार, जो कभी–कभी अपने दादी सुदामा देवी के साथ तथा कभी स्वयं भी आकर खाद्यान्न उठाया करता है। उनके बीच पारिवारिक तालमेल नहीं होने के कारण उनके द्वारा अलग से भी खाद्यान्न की अतिरिक्त मांग की जाती है और मेरे द्वारा नहीं दिये जाने पर खाद्यान्न नहीं देने का आरोप मुझपर लगाया गया है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा ब्लैकमेलिंग करते हैं और दबाव बनाते हैं कि अनाज दो मुझे बॉटने के लिए नही तो आरोप लगा देंगे। उपरोक्त तथ्यों की जॉच लाभुकों के कार्ड संख्या–202001970913 एवं वितरण सूची से मिलान कर किया गया। वितरण सूची के अनुसार लाभुक सुदामा देवी को वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक 30 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिसकी ऑनलाईन प्रविष्टि दर्ज है।	

9/10

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उक्त प्रविष्टि की Random जॉच की गई। लाभुक के राशन कार्ड खाद्यान्न वितरण एवं मात्रा की जॉच की पुष्टि वितरण सूची के अनुरूप नहीं हो पायी, क्योंकि खाद्यान्न की दर्ज मात्रा ओवरराईटिंग के कारण अस्पष्ट है और यह ओवर राईटिंग किसने किया है, यह स्पष्ट नहीं हे, क्योंकि शेष कार्डधारी जिनका जॉच किया गया उसमें यह अनियमितता नहीं पायी गयी।

आवेदक सुदामा देवी के कथन, जनवितरण प्रणाली के ऑनलाईन वितरण सूची के अवलोकन तथा जनवितरण के विक्रेता के कथन आदि के विवेचन से खाद्यान्न वितरण एवं मात्रा की अनियमितता का आरोप सिद्ध नहीं होता है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो ने भी अपने जॉच प्रतिवेदन में वर्णित किया है कि PHH कार्ड संख्या 202001970913 श्रीमति सुदामा देवी के नाम से है। इसमें कुल छः सदस्यों का नाम दर्ज है एवं पाया गया कि कार्डधारी के कार्ड में 30 किलोग्राम प्रतिमाह राशन दिये जाने की प्रविष्टि दर्ज है। संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार भरत प्रसाद सिन्हा अनुज्ञप्ति संख्या 246/84 के द्वारा भी कार्डधारी को प्रति माह 30 किलोग्राम अनाज दिये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया।

अतः तथ्यों के आलोक में प्रतीत होता है कि कार्डधारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है।

इसी आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, बोकारो –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।	अपर समाहर्त्ता, बोकारो। –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।